कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// संशोधित आदेश //

क्रमांक एफ–कोरोना/सां.लि/2020/2616 कवर्धा, दिनांक 21.04.2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिए तथा इस पर नियंत्रण हेतु कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2511 दिनांक 14.04.2020 को जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 की प्रभावशीलता दिनांक 03 मई, 2020 तक के लिए बढ़ाया गया है।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 15.04.2020 तथा 16.04.2020 एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 189/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 16.04.2020 द्वारा कोरोना वायरस संक्रमरण नियंत्रण हेतु घोषित लॉकडाउन में चिन्हित जिले/हॉटस्पाट के भीतर कंटेन्मेंट जोन को छोड़कर शेष क्षेत्रों में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति प्रदान करते हुए इस हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किया गया। जिसके अनुपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2548/सां.लि./कोरोना/2020 दिनांक 19.04.2020 द्वारा जिले में 20 अप्रैल 2020 से अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति के संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया गया।

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 21.04.2020 तथा छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन रायपुर के पत्र क्रमांक 191/स.सा.प्र.वि./2020 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22.04.2020 में जारी निर्देश के परिपालन में कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2548/सां.लि./कोरोना/2020 दिनांक 19.04.2020 द्वारा :–

2/ पूर्व में जारी दिशा निर्देष के अंतर्गत पैरा 6(A) अंतर्गत कृषि एवं उद्यानिकी गतिविधियों में निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी:–

ix निर्यात/आयात हेतु पैक हाऊस जैसी संरचनाएं, बीज एवं उद्यानिकी उत्पाद के निरीक्षण एवं ट्रीटमेंट सुविधाएं।

x कृषि और उद्यानिकी गतिविधियों से संबंधी शोध संस्थान।

xi मधुमक्खी पालन के प्लानिटंग मटेरियल, मधुमक्खी कॉलोनी, शहद एवं अन्य सामग्रियों के अंर्तराज्य एवं राज्य के भीतर परिवहन।

3/ वाणिज्यिक और निजी संस्थाओं को संचालन के संबंध में पैरा "14" निम्नानुसार अतिरिक्त गतिविधियों की अनुमति होगी:–

xi छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान।

xii बिजली के पंखे की दुकानें

4/ पूर्व में जारी दिशा निर्देश अंतर्गत व्यक्तियों के आवागमन के बारे में पैरा 17 iii में भारतीय बंदरगाह पर भारतीय नाविकों के जहाजों पर आवागमन के संबंध में निर्धारित एसओपी अनुसार प्रावधान किया गया है।

Scanned with CamScanner

5/ **खण्ड "19(v)" में वन कार्यालयों अंतर्गत** वनों में वृक्षारोपण, वन संवर्धन एवं सहायक गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

6/ **स्पष्टीकरण**— गृह सचिव भारत सरकार के पत्र कमांक 40-3/2020-DM-I(A), दिनांक 21.04.2020 द्वारा पूर्व में जारी समेकित निर्देशों अंतर्गत कई गतिविधियों को निम्नानुसार स्पष्ट किया जाता है :—

i. सामाजिक क्षेत्र के पैरा 8i में बेडसाईड अटेंडेंट तथा वरिष्ठ नागरिकों की देखरेख हेतु उनके घरों में सेवायें दे रहे केयर गिवर समिमलित है।

ii. पब्लिक यूटिलिटी के पैरा 11v में प्रीपेड मोबाईल रिचार्ज फेसिलिटीज शामिल है।

iii. आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय के संबंध में पैरा 13i में शहरी क्षेत्रों में खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां जैसे कि ब्रेड बनाने वाली फैक्ट्रियां दुग्ध प्रसंस्करण प्लांट, आटा मिल, दाल मिल इत्यादि सम्मिलित है।

यह आदेश पत्र क्रमांक 2548/सां.लि./कोरोना/2020 दिनांक 19.04.2020 के अनुक्रम में जारी किया जा रहा है, पत्र की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

जिले में हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेट जोन घोषित होने की दशा में पूर्व में सम्पूर्ण लॉकडान के संबंध में जारी आदेश/निर्देश पूर्वानुसार प्रभावी होगें तथा इन अतिरिक्त गतिविधियों को निष्पादित करने की अनुमति हॉटस्पाट एवं कंटेन्मेट जोन में नहीं होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)

पृ.क्रमांक एफ—कोरोना/सां.लि./2020/2617 कवर्धा, दिनांक 22.04.2020

प्रतिलिपिः—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
4. आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
6. सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
कबीरधाम (छ.ग.)

Scanned with CamScanner